

वधिका न्यायिक संपरीक्षा

प्रलिमिंस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय, जनहति याचिका \(PIL\), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(NFSA\), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नविरण\) अधिनियम, 2013](#)

मेन्स के लिये:

न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की भूमिका, भारत में कल्याणकारी कानून, झुगगी पुनर्विकास नीतियाँ, शासन में जवाबदेही [न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम](#), शहरीकरण और आवास चुनौतियाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने सरकार को उसके वैधानिक कानूनों का "नषिपादन लेखा-परीक्षण" करने का नरिदेश देने के न्यायपालिका के अधिकार को बनाए रखा।

- यह नरिणय महाराष्ट्र में झुगगी क्षेत्र विकास के लिये एक अधिनियम के संबंध में की गई अपील से सामने आया, जसिमेलकषति लाभार्थियों के लिये स्थिति में सुधार करने में कानून की प्रभावशीलता पर चर्चा व्यक्त की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को महाराष्ट्र सलम एरिया (सुधार, नकिसी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 का नषिपादन लेखा-परीक्षण करने का नरिदेश दिया, क्योंकि इस अधिनियम से संबंधित 1,600 से अधिक मामले लंबित हैं।
- न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कियेदयपि अधिनियम का उद्देश्य हाशरि पर रहे व्यक्तियों को आवास और सम्मान प्रदान करना था, परंतु इसके कार्यान्वयन के कारण बड़े पैमाने पर मुकदमेबाज़ी हुई है, परणामस्वरूप इसका उद्देश्य मूलरूप से प्रभावित हुआ है।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कन्यायपालिका के पास कानूनों का प्रभाव सुनश्चिति करने की शक्ति और कर्तव्य हैं। न्यायालय ने कहा कियेद कोई कानून अपने लकषति लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने में वफिल रहता है, तब नषिपादन लेखा-परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।
- इसके अतरिकित, न्यायालय ने कानून के दीर्घकालिक प्रभाव के मूल्यांकन में "संस्थागत स्मृति" के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

इस नरिणय के नहितार्थ क्या हैं?

- न्यायिक सक्रियता:** यह शासन में सक्रिय न्यायिक भागीदारी में हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है, जसिमें न्यायपालिका न्याय प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है तथा जब प्रशासनिक देरी वैधानिक प्रावधानों के परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है, तब वह इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।
 - इससे अनय कल्याणकारी कानूनों तथा योजनाओं के समान लेखा-परीक्षण हेतु एक मसाल कायम हो सकती है।
- नषिपादन लेखा-परीक्षण:** नषिपादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य अधिनियम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा मुकदमेबाज़ी में योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना है।
 - इससे कानून में आवश्यक सुधार हो सकते हैं, परणामस्वरूप इसके इच्छति लकष्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि हो सकती है।
 - कानून के नषिपादन लेखा-परीक्षण के भय से वधायिकाएँ कानून के परिवर्तन से पहले तथा उसके दौरान कसि भी वसिंगत और कमथियों को दूर करने के लिये कानूनों की गहन जाँच करने के लिये बाध्य हो सकती हैं।
- वधायिका एवं कार्यकारी जवाबदेही:** यह नरिणय वधिनमंडल तथा कार्यपालिका के संवैधानिक कर्तव्य पर ज़ोर देता है कवि कानून बनाएँ, उसकी नगिरानी करें और साथ ही साथ उसके प्रभाव का आकलन भी करें। इससे कल्याणकारी कानूनों के कार्यान्वयन में सरकारी प्राधिकारियों की जवाबदेही और संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। ए

- हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ध्यान देना : न्यायालय द्वारा हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य पर बल देने से ऐसी नीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर पड़ता है जो वास्तव में उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हों। यहकमज़ोर आबादी की सुरक्षा के उद्देश्य से आगे की कानूनी एवं नीतितगत पहलों को प्रोत्साहित कर सकता है।
 - अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से महत्त्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं, जिससे झुगुगी पुनर्विकास के लिये बेहतर ढाँचा तैयार हो सकेगा और साथ ही प्रभावित समुदायों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित न्यायिक सक्रियता के पछिले नरिणय क्या हैं?

- अनुन धवन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2024:
 - इसमें कार्यकर्त्ताओं ने भूख और कुपोषण से निपटने के लिये सामुदायिक रसोई की स्थापना की वकालत करते हुए एक जनहति याचिका (PIL) दायर की। याचिका में इन मुद्दों के कारण होने वाली भयावह बाल मृत्यु दर पर प्रकाश डाला गया और साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि यह स्थिति भोजन और जीवन के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
 - सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को भूख और कुपोषण से निपटने के लिये सामुदायिक रसोई की एक वशिषिट योजना को लागू करने का नरिदेश देने की अनुमति प्रदान नहीं की।
 - न्यायालय ने सरकारी नीतितगत मामलों से संबंधित न्यायिक समीक्षा के सीमति दायरे पर ज़ोर देते हुए कहा कि वह राज्यों को कसिी वशिष नीतित को अपनाने के लिये केवल इसलिये आदेश नहीं दे सकता क्योंकि कसिी वकिलप बेहतर माना जा सकता है।
 - इसके स्थान पर इसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मौजूदा ढाँचे को स्वीकार किया तथा इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ दिया ताकि वे वैकल्पिक कल्याण योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- वशिखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997:
 - यह मामला भारत में एक ऐतहासिक नरिणय तथा जसिने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण दशिा-नरिदेश स्थापित किये हैं।
 - इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने वशिखा गाड्डलाइन नाम से व्यापक दशिा-नरिदेश नरिधारित किये, जनिमें परभिषाएँ, नयिकता के दायतिव, शकियत तंतर एवं प्रशकषण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
 - इस नरिणय के परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, नशिध और नविारण) अधिनियम, 2013 लागू हुआ, जसिसे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

वधिानमंडल द्वारा अपरभावी कानून बनाने के क्या कारण हैं?

- मुद्दों की जटलिता: भारत की वविधि जनसंख्या और परस्पर संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं के कारण सार्वभौमिक रूप से परभावी कानूनों का मसौदा तैयार करना कठिन हो जाता है।
- अनुसंधान और डेटा का अभाव: कई कानून पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य या संपूर्ण प्रभाव आकलन के बिना बनाए जाते हैं, जसिके परिणामस्वरूप अपरभावी समाधान सामने आते हैं।
 - उदाहरण: संसद में पारित तीन कृषि कानूनों पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा जाँच की कमी के कारण वसितृत जाँच और सार्वजनिक इनपुट के अवसर सीमति हो गए।
- राजनीतिक दबाव: पक्षपातपूर्ण राजनीति और अल्पकालिक चुनावी दबाव सार्वजनिक हति पर हावी हो सकते हैं, जसिके परिणामस्वरूप खराब तरीके से कानून बनाए जा सकते हैं।
- नौकरशाही चुनौतियाँ: नौकरशाही के भीतर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध और सीमति संसाधन नए कानूनों के कार्यान्वयन और परिवर्तन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- हतिधारकों के साथ अपर्याप्त परामर्श: नागरिक समाज और हाशिये पर रह रहे समूहों के साथ सीमति सहभागिता के कारण ऐसे कानून बन सकते हैं जो वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने में वफिल हो जाते हैं।
 - उदाहरण के लिये, वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 का उद्देश्य वन भूमि और संसाधनों पर स्वदेशी व आदविसी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। हालाँकि स्थानीय समुदायों के साथ अपर्याप्त परामर्श के कारण इसके कार्यान्वयन में कठिनाई हुई है, जसिसे उनके अधिकारों की परभावी मान्यता में बाधा आ रही है।
- कषेत्राधिकारों का अतवियापी होना: परस्पर-वशिधी कानून और कषेत्राधिकार संबंधी विवाद परिवर्तन में भ्रम और अकुशलता उत्पन्न कर सकते हैं।
 - उदाहरण के लिये, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि उपयोग तथा मुआवज़ा प्रथाओं के संबंध में टकराव उत्पन्न कर सकते हैं।
- प्रारूपण की गुणवत्ता: कानूनों में अस्पष्ट भाषा और तकनीकी जटलिता के कारण गलत व्याख्या हो सकती है तथा जनता की समझ सीमति हो सकती है।
 - उदाहरण के लिये: POCSO अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिये बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण को सख्ती से अपराध घोषित करता है। इसके वशिरीत, IPC केवल अश्लील सामग्रियों के नरिमाण और वतिरण को संबोधित करता है, जसिसे बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण के बारे में एक अंतर रह जाता है।

आगे की राह

- **हतिधारकों की भागीदारी बढ़ाना:** कानून नरिमाण प्रक्रिया में नागरिक समाज, वशिषज्जों और प्रभावति समुदायों को शामिल करना, ताकि यह सुनिश्चित कथि जा सके कि कानून व्यावहारिक तथा प्रभावी हों।
 - उदाहरण: UK का **सिटीज़न स्पेस प्लेटफॉर्म (Citizen Space platform)** प्रस्तावति कानून पर सार्वजनिक परामर्श की अनुमति देता है, जसिसे यह सुनिश्चित होता है कि विविध विचारों या मतों को संबोधति कथि जाए।
 - भारत में इसी प्रकार की पहल से ऐसे कानून बन सकते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रतबिबिति करेंगे।
- **डेटा-संचालति कानून:** नीतगित नरिणय लेने के लयि अनुसंधान और डेटा संग्रहण में नविश करना, यह सुनिश्चित करना कि कानून मूल कारणों को संबोधति करें तथा अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारति हों।
- **सुव्यवस्थति नौकरशाही प्रक्रियाएँ:** प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर तथा प्रभावी कानून कार्यान्वयन के लयि समय पर नयिम-नरिमाण सुनिश्चित करके नौकरशाही देरी को कम करना।
- **स्पष्ट प्रारूपण मानक:** गलत व्याख्या को न्यूनतम करने तथा सुसंगत प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लयि कानूनों के स्पष्ट एवं शुद्ध प्रारूपण के लयि दशिा-नरिदेश स्थापति करना।
 - उदाहरण: UK में **प्लेन लैंग्वेज कमीशन (Plain Language Commission)** स्पष्ट और संक्षपित कानूनी लेखन को बढ़ावा देता है। भारत को अपने कानूनों की पठनीयता में सुधार के लयि इसी तरह के दशिा-नरिदेशों से लाभ हो सकता है।
- **सुदृढ़ नगरिानी और मूल्यांकन:** कानून के लागू होने के बाद उसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लयि व्यापक तंत्र लागू करना, जसिसे आवश्यक समायोजन और सुधार संभव हो सके।
 - उदाहरण: ऑस्ट्रेलया की **वनियामक प्रभाव वशि्लेषण (Regulatory Impact Analysis- RIA) प्रणाली** प्रस्तावति वनियमों के कार्यान्वयन से पहले उनके संभावति लागतों और लाभों का मूल्यांकन करने के लयि डज़िाइन की गई है, ताकि यह सुनिश्चित कथि जा सके कि वनियम कुशल और प्रभावी दोनों हैं।

दृष्टिभेनस प्रश्न:

प्रश्न: वधिायी प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शति सुनिश्चित करने के संदर्भ में कानून की न्यायिक लेखापरीक्षा की अवधारणा पर चर्चा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालकिा के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कसिी भी सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूरव अनुमतिसे वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लयि बुलाया जा सकता है।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालकिा में न्यायाधीशों की नयुक्तिके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्तिआयोग अधनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि। (2017)